	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र दावा रेस्टोर करने बाबत् पेश किया गया। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस मे प्रा0 पत्र के कथनों को दुहराते हुये निवेदन किया कि–माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–88,89,188 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसको माननीय न्यायालय ने विधिवत सुनवाई करते हुये दिनांक 30–10–2013 को वाद स्वीकार कर दावा डिक्री फरमा दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27–09–2019 को अपील आंशिक स्वीकार फरमाते हुये प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु तारीख पेशी नियत कर दी। दिनांक 20–11–2019 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर्ड की गयी तथा वाद संख्या 114/2019 डाला गया और पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 26–12–2019 अंकित की गयी तथा उभय पक्षों की उपस्थिति दर्ज की गयी, तत्पश्चात पत्रावली में तारीख पेशी दी जाती रही और लगातार प्रिन्टेड आदेशिका अंकित की जाती रही। दिनांक–29–06–2021 को वादी व प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने बाबत आदेशिका अंकित करते हुये न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्देशानुसार वादी व प्रतिवादी की तलबी हेतु आदेश प्रदान किये गये और पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी में दिनांक 6–8–2021 तारीख पेशी दी गयी। दिनांक 6–8–2021 के पश्चात न्यायालय की आदेशिका में बहस अन्तिम हेतु पत्रावली में तारीख पेशी दी जाती रही तथा दिनांक 4–8–2022 को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये तारीख पेशी दिनांक 22–09–2022 अंकित की गयी। उक्त दिनांक को विचाराधीन वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिसकी अप्रसन्नता से निम्न कारणो से रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया कि– माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में सुनवाई किये जाने के लिए वादी प्रार्थी ने अधिवक्ता नियुक्त किये हुये थे, जो राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां भी अपील में अधिवक्ता रहे तथा निर्णय पारित किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में भी अधिवक्ता रहे तथा पूर्व में नियुक्त अधिवक्ता की उपस्थिति भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित की गयी, प्रकरण रिमाण्ड होने पर वादी के अधिवक्ता ने वादी को किसी भी प्रकार की सूचना से अवगत नही करवाया। वाद के सम्बंध में जब भी जानकारी चाही तो यही कहा गया कि दावा चल रहा है, जब भी आवश्यकता होगी, बुला लेंगे। वादी प्रार्थी लगातार अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करता रहा और हमेशा यही आश्वासन दिया गया कि जब भी जरूरत होगी, तब बुला लेंगे। दिनांक–22–09–2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात भी अधिवक्ता महोदय द्वारा किसी प्रकार से सूचना नही दी गयी, उस समय कोरोना काल भी चल रहा था, वादी प्रार्थी भी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर पाया। अभी दिनांक–20–07–2025 को अपने किसी अन्य प्रकरण में न्यायालय में प्रार्थी वादी के आने पर अपने अधिवक्ता से दावे के सम्बंध में जानकारी चाही तो उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नही दिया गया और	

Contd..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

टालमटोल करते रहे यहां तक कि आगामी तारीख पेशी भी नही बताई, जिस पर प्रार्थी वादी ने अन्य वाद में नियुक्त अपने अधिवक्ता से वाद के सम्बंध में जानकारी चाही तो उनके द्वारा राजस्व के सम्बंध में जानकार अधिवक्ता से सम्पर्क करवाया। वादी प्रार्थी के नये अधिवक्ता द्वारा दिनांक-23-07-2025 को वाद की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर नकल हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली की नकल दिनांक 12-08-2025 को प्राप्त हुई, तत्पश्चात विधिक जानकारी लेकर अपने अधिवक्ता की राय से रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र पुनः वाद को नम्बर पर लिये जाने हेतु वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायहित में उक्त वाद को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधिवत सुनवाई की जाकर मेरिट पर निर्णय पारित किया न्यायोचित व आवश्यक है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। वादी का कृषि भूमि के सम्बंध में वाद है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है, प्रार्थी का हित उक्त कृषि भूमि से जुड़ा हुआ है, कृषि भूमि के अभाव में उसका परिवार बेघर बार हो जाएगा, प्रार्थी वादी को न्यायहित में सुना जाकर वाद को रेस्टोर किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थी वादी न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएगा और प्रार्थी वादी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही हो सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्टोरेशन प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर वादी प्रार्थीगण के वाद को रेस्टोर किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रा0 पत्र के कथनों को दुहराते हुये अपनी बहस मे निम्न निवेदन किया गया कि- वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में तारीख मेन्सन की गयी जिसमें अवगत कराया गया है कि तारीख 22.09.2022 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया तथा 22.09.2022 के बाद में वादी बता रहा है कि 20.07.2025 को न्यायालय में आया और नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2025 को प्रस्तुत किया गया जो वादी के द्वारा देरी का कोई कारण अंकन नही किया गया जो वर्ष 2022 से वर्ष 2025 में रेस्टोर का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो चलने योग्य नही है। वादी के द्वारा मद नं. 1 में अंकन किया गया जिसमें वादी को पूर्ण रूप से जानकारी थी, वादी के द्वारा अपना वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वादी को पूर्ण जानकारी थी कि राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा दोनो पक्षो को उपस्थित होने के लिए तारीख पेशी नियत की गयी, दोनो पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुये, प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का बहाना था, वादी स्वयं ही अपने केस में उपस्थित नही हो पाया, और न ही अपने अधिवक्ता उपस्थित हुये और माननीय न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज फरमा दिया गया, जिसकी पूर्ण जानकारी थी और डिले का कोई कारण वादी के द्वारा अंकन नही किया गया है, जो प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है ।

प्रार्थना पत्र की मद नं. 02 में जो वादी की कृषि आराजी बतायी गयी वहाँ पर कोई कृषि आराजी नही है, आबादी हो चुकी है, तथा मकान बने हुये है, वहाँ से प्रतिवादी निवास कर रहे है, आस पास आबादी है, ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टे जारी किये जा चुके है । जो वादी को वाद लाने का माननीय न्यायालय में अधिकार नही है, उक्त

Contd...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

वाद पत्र सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। अतः प्रार्थना पत्र की मद नं. 03 अस्वीकार है, जो वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध्द दस्तावेजो एवं प्रा0 पत्र का अवलोकन अध्ययन किया । प्रार्थी द्वारा पेश किया गया रेस्टोरेशन प्रा0 पत्र दिनांक 01.09.2025 को दायर किया गया। जबकि वादी का वाद दिनांक 22.09.2022 को अद्म हाजिरी मे खारिज कर दिया गया। पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा से प्रतिप्रषित होने के कारण पत्रावली इस न्यायालय मे दिनांक 20.11.2019 को दर्ज की गई। तथा प्रकरण मे वादी अभिभाषक की लगातार अनुपस्थित के कारण दिनांक 22.09.2022 को प्रकरण अद्म हाजिरी-अद्म पैरवी मे खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.09.2025 को उक्त प्रकरण का रेस्टोर प्रा0 पत्र पेश किया गया तथा प्रा0 पत्र देरी से पेश करने का काई उचित कारण भी नही बताया गया।

वादी एवं वादी अभिभाषक की अनुपस्थिति सद्भाविक नही होने से प्रा0 पत्र रेस्टोरेशन अस्वीकार कर खारिज किये जाने के भी आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैशल-शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तामील-तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा